भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *453

(दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए)

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

***453. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में निर्मित फिल्मों के परिरक्षण, संरक्षण और डिजिटलीकरण की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) के तहत राज्य में हितधारकों के साथ कोई परामर्श किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परामर्शों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें आंध्र प्रदेश के कितने उद्योग हितधारकों, प्रोडक्शन हाउसों और फिल्म एसोसिएशनों ने भाग लिया है और इन चर्चाओं के प्रमुख परिणाम क्या रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की एनएफएचएम के तहत आंध्र प्रदेश में फिल्म परिरक्षण, पुनःनिर्माण और डिजिटलीकरण में पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में विशेषकर अग्रणी फिल्म संस्थानों और स्टूडियो के सहयोग से ऐसी सुविधा हेतु प्रस्तावित समय-सीमा, बजट आवंटन और स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या एनएफएचएम के तहत आंध्र प्रदेश में फिल्म संरक्षण परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *453 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

(क) से (ङ): वर्ष 2015 में सरकार ने राष्ट्रीय फ़िल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत की विशाल सिनेमाई विरासत का परिरक्षण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना है। एनएफएचएम के तहत अब तक किए गए कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 1,54,000 फिल्म रीलों का संग्रह मूल्यांकन;
- 69,036 फिल्म रीलों का निवारक संरक्षण;
- 6101 फिल्मों का डिजिटलीकरण; और
- 943 फिल्मों का रेस्टोरेशन।

एनएफएचएम ने पूरे देश में व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह कार्य किया। इसकी कार्ययोजना तैयार करने के लिए जाने-माने निर्माताओं, निर्देशकों, वितरकों, प्रोडक्शन हाउस, फिल्म लैब, उद्योग संघों, इतिहासकारों, शिक्षाविदों, आलोचकों और पत्रकारों से परामर्श किया गया।

उनके साथ हुई चर्चाओं में फिल्म प्राथमिकता ढांचे, सूचीकरण और सामग्री प्रबंधन प्रणाली, परिरक्षण तकनीक, प्रौद्योगिकी प्रगति और सामग्री अधिग्रहण के लिए परिचालन मॉडल जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सरकार ने एनएफएचएम के तहत डिजिटलीकरण और रेस्टोरेशन के लिए फिल्मों का चयन करने के लिए तेलुगु भाषा के लिए एक समिति सहित क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की है। इन समितियों में फिल्म निर्माता**,** इतिहासकार**,** फिल्म संघों के प्रतिनिधि और संबंधित राज्य फिल्म विकास निगम शामिल हैं।

***